सिविल न्यायालय आदि सुनवाई कर सकता हो, विधि द्वारा वर्जित हो तथा नियम 9 की पालना न की गई हो तभी इस स्टेज पर वाद खारिज किया जा सकता है, जबकि वादीगण के वाद से वाद कारण प्रकट होना स्पष्ट है जिसके लिए कोई आपति नही की गई है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने जानबूझकर मुकदमा को लम्बा करने की नियत से गलत तथ्यो पर प्रार्थना–पत्र पेश किया है जो कि खारिज करने योग्य है।

अधिवक्तागण उपस्थित अधिवक्तागण द्वारा बहस प्रस्तुत की गई

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस वाद वादी निरस्त किये जाने के कथन किये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने के कथन किये गये।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत क्रमशः

2018 DNJ (Rev.) 31 State of Rajasthan VS Amar Singh Dhakar & Ors..

का ससम्मान अवलोकन किया गया.

बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया,

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रशनगत कृषि भूमि गैर खातेदारान है, राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955–धारा 88,188 द्वितीय अपील –राज्य सरकार ने पुर्नवास भुमि के सम्बध मे नया प्रकरण ग्रहण करने पर प्रतिबन्ध लगाया–मौजुदा वाद 11.10.2010को प्रतिबन्ध लगाने के बाद पेश किया अतः पुर्नवास भूमि पर धारा 88 व 188 के प्रावधान लागु नही होते है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पोषणीय पाया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र वर्तमान स्तर पर निरस्त किया जाता है।

आदेश अधिवक्तागण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 को जारी किया गया।

मुकेश बारैठ
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर